275-A

March 19, 1958

Com. Amarlal Sharma,
Secretary, Stone Polish Mazdoor Sabha,
Ramganjmandi, Rajasthan

Dear Comrade,

We are glad to note from your letter of the 10th inst., the progress you have made in organisation.

As for a meeting with us in Delhi, since we are here busy with certain Committees and Conferences till about April 20, we shall fix up the same towards the last week of April, 1958.

With greetings,

Yours fraternally,

(K.G.Sriwastava)
Secretary

275-A

Number of the death accidents in stone mines are increasing day by day. ~~within last 10 months~~ 12 men died within 10 ~~days~~ months.

(i) A truck carrying stones from the mine to the Contractor near Lal Chunni tal ~~do~~ turned down on the Kota Road killing Cleaner. Driver & Beldar.

(ii) A labourer fell down from the truck & died.

(iii) A truck belonging to A.S.I. Co. was carrying stones Dara Road ~~somehow~~ stone broke up and fell down ~~on~~ upon a labourer killing him to death on 18.7.58. Full Text of the report is attached here with.

This clearly shows that ~~a~~ mine owners well known of these accidents & deaths ~~then they are day~~ of the labourers ~~workers~~ working on trucks. even then they did not pay any attention and continued the practice ~~of~~ to take day the labourers on the truck.

Who is responsible for ~~above~~ above mentioned deaths & its increasing number?. But ~~authorities of the~~ mine authorities & state govt. not pay any attention which encouraged owners. who ~~exploited the situation~~ continued the practice ~~with~~ with their profit earning motive.

As. mine authorities & state govt. ~~among~~ was deaf about ~~all~~ these accidents, they ~~held~~ (declare) them responsible.

Therefore to secure. the lives of the labourers from these accidents we demand from the mine owners state govt. & mine authorities ~~the follow~~ implementation of the following suggestion.

1. Enquiry in the above mentioned accidents & punishment ~~to~~ to the responsible.

2. Stone mines should be declared. Dangerous mines ~~and should be given~~ Labour welfare fund should be given to dead.

. Leagal restriction (Prohibition) on taking duty by
the Labourers on the carrying stones.

7. Compensation should be paid to the family of
the decease. Gaidi Lal as soon as possible.

स्टोन क्वैरिज मजदूर सभा रामगंज
मंडी कोटा, रजिस्टर्ड नम्बर. ५४। ५८.

प्रिय साथी :-

मैं आपके पास हमारी सभा के अन्दर भेजा गया पत्र भेज रहा हूं। उसमें हमने बढ़ती हुई मजदूर मृत्यु दुर्घटनाओं की अदालती जांच पत्थर खानों को डेन्जर्स माइन्स घोषित करने की मांग की। जिसकी कापी पत्र के साथ नत्थी है इसलिये आप इस प्रश्न को लोक सभा इन्डस्ट्रीयल कमेटी में उठावे। जिससे हमारी खानों को माइन्स ऐक्ट में लिया जा सके।

राजस्थान सभा में इन्डस्ट्रीयल कमेटी के तारीख १७-१८ अप्रेल के फैसले के अनुसार अभी मिनिमम वैजेज ऐक्ट को भी लागू करने की कार्यवाही नहीं की है। इसके लिये भी आप लिखे।

क्रान्तिकारी अभिनन्दन पत्र :-

आपका साथी :-
अमर लाल शर्मा
मंत्री स्टोन क्वैरिज
मजदूर सभा : रामगंज
मंडी, कोटा,

T.V.R.
Paid. Quick...
...
तारीख:- २३-७-५८ ई०,

कृ. प.उ. (P.T.O

मजदूर खान में दब कर के मर गयें

जयपुर २२ जुलाई पता चला है कि निकट वर्ती पत्थर की एक खान में रविवार को चार मजदूर दब कर मर गये। सूचना मिलते ही पुलिस घटास्थल पर पहुंची किन्तु ... कारण तत्काल इसलिये कुछ नहीं किया जा सका कि कुछ और पत्थरों के गिरने की सम्भावना थी।

एक मजदूर की लाश रविवार को मलबे से निकाली गई।

स्टोन क्वैरिज मजदूर सभा :-
रामगंज मंडी : कोटा : रजिस्टर्ड नं० ५४। ५८.

लेबरकमिश्नर माईका माइन्स
जलेबी चोक जयपुर ।

लेबर इन्सपेक्टर माइन्स
भारत सरकार रतलाम .

विषय :- स्टोन माइन्स में होने वाली मजदूरों की मृत्युओं की रोक थाम एवं तारीख १८-७-५८ कोभी दुर्घटना मृत्यु कामुआवजे की कार्यवाही । खिलाफ ए. एस. आई. कम्पनी लिमिटेड रामगंज मंडी कोटा राजस्थान :-

---

श्रीमान् जी : -

स्टोन माइन्स से कटे हुये पत्थर को लाने वाले ट्रकों पर कार्य करने वाले मजदूरों की मोतों की तादादी बढ़ती जारही है । करीब ८-१० महीनों में ही १०-१२ मोते हो चुकी है । जिसका कारण इस प्रकार से है ।

एक मजदूर रूपा कोली सुकेत के यहां ट्रक पर जाते हुये गिर कर मर गया उसके थोड़े दिन बाद ठेकेदार रमण लाल चुन्नीलाल की माइन्स सेपत्थर लाते हुऐ ट्रक के उलट जाने के कारण कोटा रोड़ पर मय क्लीनर व ड्राइवर बेल्दार सबही मारे गये ।

तीसरा केस हाल ही मे डाणी में हुआ है ए. एस.आई कम्पनी के ट्रक पर पत्थर लाते समय पत्थर के टूट कर गिरजाने से कट कर मर गया उसके बाद यह तारीख १८-७-५८ को मृत्यु दुर्घटना जिसकी पूरी रिपोर्ट भी नत्थी है हुई है ।

इससे साफ जाहिरहै किखान मालिको को मजदूरो को ट्रकों पर चढ़ा कर काम लेने से मृत्यु दुर्घटना हो जाने का पता चल गया है था उसके बाद भी माइन्स मालिको ने इस ओरकोई ध्यान नही दिया । ओर मजदूरों से ट्रकों पर काम लेते रहे । जिसे तारीख १८-७-५८ को एक मजदूर की जान गई ।

उपरोक्त हुई दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है उपरोक्त घटित मृत्यु दुर्घटनाये लगातार बढ़ती जारही है । किन्तु इस ओर माइन्स अधिकारीया व राज्य सरकार ने भी कोई ध्यान नही दिया जिसके कारण माइन्स मालिको कोबढ़ावा मिलता रहा । मालिको ने अपने नाफे को बढायेरखने के लिये इस ओर कोई ध्यान नही दिया ।

कृ. पत्र. उ.

और माइन्स अधिकारीओ व राज्य-सरकार सरकार भी कान में तेल डाले सोती रही, इसलिये वे इन उपरोक्त दुर्घटनाओं का जिम्मेदार माइन्स मालिक माइन्स अधिकारी व राज्य सरकार हैं।

इसलिये हम लोग माग करते हैं कि आये दिन के इन मृत्यु दुर्घटनाओं से मजदूरोको बचाने के लिये निम्न लिखित खानमालिको राज्य सरकार व माइन्स अधिकारीयो के द्वारा फौरन किये जावें, निम्नाकिंत कार्य :-

१. उपरोक्त हुई दुर्घटना ओं, की खुली अदालती जांच कराई जावें, , अथवा दुर्घटनाओं, से सम्बन्धित लोगों को सजा दी जावें, ।

२. स्टोन माइन्स को खतरे वाली माइन्स घोषित किया जावें और मृतको के लिये लेबर वेल फेयर फण्ड दिलायाजावें, ।

३. ट्रकों पर पत्थर भर कर ले जाने व लाने के लिये मजदूरों को साथ ले जाने व लाने के लिये कानूनी रोक लगादी जावें, ।

४. मृतक गर्दीलाल के कुटुम्बीयों, को शिघातिशीघ्र मुआवजा दिलायाजावें ।

आशा है श्रीमान् हमारी, इन मांगो पर शिघ्र कारवाही करने हे हेतु कृष्ठ ऊठायेगे ।

-: भवदीय :-
अमरलाल शर्मा
मंत्री :-

प्रतिलिपी : सूचनार्थ :-

१. चीफ इन्सपेक्टर माइन्स भारत सरकार धनावद ।

२. चीफ सैकेट्री राजस्थान सरकार जयपुर । ।

३. श्री लेबर चीफ कमिश्नर भारत सरकार १५ गुरूद्वारा रोड़ नई दिल्ली ।

४. सैकेट्री इन्डस्ट्रीयल कमेटी ऑन माइन्स अदर देन कोल नई दिल्ली ।

५. श्री जनरल सैके ट्री अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ४ अशोकरोड़ नईदिल्ली ।

तारीख:- :23-6-55

एम. एम. सोनी.

जरूरी

पत्थर खान मजदूर सभा
रामगंज मंडी

रामगंजमंडी
ता. १० [illegible]

प्रियसाथी श्री वासवनजी

मुझे आपका पत्र मिले बहुत दिन होगये हैं मैं उसका जवाब आपको नहीं दे सका क्योंकि मैं इनदिनों आपके ~~आदेश~~ अनुसार युनियन के संगठन मे लगारहा हूँ अब हमारे यहाँ पत्थर खानों के मजदूरों का संगठन होने लग गया है। संगठन को मजदूरों का सहयोग भी पुरा मिला है। करीब १ ही महीने मे हमने लगभग चार जगह अपनी कमेटीयें बनाने की स्थिती मे होगये हैं और मेम्बर शीप भी करीब पांच सौ तक पहुंचरही है मेम्बर शीप चालू है।

अब हम को इतनी बातों पर विचार करना है। (१) पत्थर खानों के संगठन को चलाने के हमारा सही दृष्टी कोण (२) राजस्थान मे होरहे न्युनतम वेतन फीक्सेशन पर विचार (३) राजस्थान मे खान ~~[illegible]~~ मजदूरों की माँगों के प्रति हमारा ~~सही~~ दृष्टी कोण (४) युनियन के सम्बन्ध के विषय मे। मैं आपके साथियों से सलाह करने हेतु दिल्ली आना चाहता हूँ

इसलिये आप पत्र को मिलतेही लिखें की ~~[illegible]~~ मैं कब किस तारीख आऊँ ताकि मुझे सबही साथी वहाँ मिल सकें